प्रेस नोट **28/04/2024**

<u>02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 7070 रुपये एंव अवैध तमंचा व कारतूस बरामद दृ</u>

आज दिनांक 28.042024 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नदवासराय फोर लेन के पास से अभियुक्तगण 01. मुस्तफा पुत्र सब्बीर अली निवासी विंग कौसा रसीद कम्पाउण्ड मुम्बा जिला थाणे महाराष्ट्र 02. सकी अकबर अली जाफरी पुत्र अकबर अली निवासी रामानन्द नगर थाना पलुस जिला सांगली महाराष्ट्र के कब्जे से 7070 रुपये व एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया उक्त बरामद रुपया इण्डियन बैंक के वी0सी0 प्वाइण्ट के काउण्टर, कस्बा खास बड़ी बाजार से चोरी मामले में पंजीकृत मु0अ0स0 170/2024 धारा 379 भा0द0वि0 से सम्बन्धित पाये गये। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411 भा0द0वि0 की बढ़ोतरी की गई तथा मु0अ0सं0 171/2024 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया ।